हिमाचल प्रदेश सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस.जे.ई.–बी.–बी.(1)–5/2016 तारीख शिमला–2, 31 जुलाई, 2017

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला– श्रवण बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक, (कला– श्रवण बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2017 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियाँ।

2. (1) इस विभाग की अधिसूचना संख्याः एस.जे.ई.–ए.(3)–2/2006 तारीख 21 मई, 2009 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (श्रवण बाधित) वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (सा0 न्याय एवं अधि0)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

उपाबन्ध– "क"

हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित), वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम।

1 पद का नामः	प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित)
2. पद (पदों) की संख्याः	01 (एक)
3. वर्गीकरणः	वर्ग–III (अराजपत्रित)
4. वेतनमानः	(i) नियमित पदधारी (पदधारियों) के लिए पे बैण्डः रु0 10300–34800 / – जमा 3600 / –रूपए गेड पे। (ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारी के लिए उपलब्धि (उपलब्धियाँ): स्तम्भ संख्या 15–क में दिए गए ब्यौरे के अनुसार रु0 13,900 / – प्रतिमास ।
5. ''चयन'' पद अथवा ''अचयन'' पदः	लागू नहीं।
6. सीधी भर्ती के लिए आयुः	18 से 45 वर्षः

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा, तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों सहित, पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह उसकी ऐसी तदर्थ या संविदा पर की गई नियुक्ति के कारण विहित आयु में शिथिलीकरण का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यह और कि ऊपरी आयु सीमा में, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़ा वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गो के लिए, उस विस्तार तक शिथिलीकरण किया जाएगा जितना की हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदेशों) के अधीन अनुज्ञेय हैः

परन्तु यह और भी कि समस्त पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में ऐसी ही रियायत अनुज्ञात की जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है। ऐसी रियायत, तथापि पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के ऐसे कर्मचारिवृन्द को अनुज्ञेय नहीं होगी जो तत्पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत्त निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् ऐसे निगमों / स्वायत्त निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे।

टिप्पणीः सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम श्रेणी शैक्षिक और अन्य अर्हताएं:	(क) अनिवार्य अर्हता(एं): (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से द्वितीय में कला स्नातक की उपाधि। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय से विशेष शिक्षा श्रवण में स्नातक (श्रवण बाधित)। या सामान्य/विशेष शिक्षा स्नातक के साथ (पी.जी.पी. डी.एस.ई.) विशेष शिक्षा श्रवण बाधित स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा (पी.जी.पी. डी.एस.ई.)। (iii) अभ्यर्थी भारतीय पुनर्वास परिषद् (आर.सी.आई.) के साथ अवश्य रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए। । (ख) वॉछनीय अर्हता(एं): (i) संबधित क्षेत्र में अर्हताप्राप्त करने के पश्चात् एक वर्ष का अध्यापन अनुभव। (ii) हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।
8.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों)के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं:	आयु: लागू नहीं । शैक्षिक अर्हता(एं): लागू नहीं । :
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो:	(क) दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आदशे दे। (ख) संविदा के आधार पर, सेवाधृति के आधार पर नियुक्ति पर, अधिवर्षिता के पश्चात् पुनर्नियोजन पर और आमेलन पर कोई परिवीक्षा नहीं होगी।
10.	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति/सैंकेण्डमैण्ट/ स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पद (पदों) की प्रतिशतता:	शतप्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा, यथास्थिति, नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर भर्ती द्वारा।
11.	प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/सैकेण्डमैण्ट/स्थानान्तरण किया जाएगा:	लागू नहीं।

12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचनाः	(क) <u>विभागीय प्रोन्नति समितिः–</u> ''लागू नहीं''। (ख) <u>विभागीय स्थायीकरण समितिः–</u> ''जैसी समय–समय पर सरकार द्वारा गठित की जाए''।
13.	भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
14.	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।
15.	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	सीधी भर्ती के मामले में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो पूर्व में ली गई छंटनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/ लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, यथास्थिति, आयोग/अन्य भर्ती अभिकरण/प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।
15–क.	संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदात्मक नियुक्तियां नीचे दिए गए निबन्धनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगीः–

(I) **<u>संकल्पनाः</u>**

(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित) को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर और आगे बढ़ाया जा सकेगाः

परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए सम्बद्ध विभागाध्यक्ष यह प्रमाण पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान सन्तोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

(ख) **पद का हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग : कार्यक्षेत्र में आनाः**

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रुप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश रिक्त पद (पदों) को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(II) **संविदात्मक उपलब्धियांः**

संविदा के आधार पर नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित) को 13900/– रूपए की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्वर्ती वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक उपलब्धियों में 417/–रूपए (पद के बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी ।

(III) **नियुक्ति/अनुशासन प्राधिकारीः**

निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यंक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) **चयन प्रक्रियाः**

संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा या यदि, ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो पूर्व में ली गई छन्टनी परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की)/लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा या शारीरिक परीक्षण के अनुसार साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर/पाठ्यक्रम आदि, सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) **संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समितिः**

जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, हमीरपुर द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(V) **करारः**

अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VI) **निबन्धन और शर्तें** :

(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को रु0 13900/–प्रतिमास की दर से समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो पे बैण्ड के न्यूनतम जमा ग्रेड पे के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में रु0 417/– (पद के पे बैण्ड का न्यूनतम जमा ग्रेड पे का तीन प्रतिशत) की रकम की वार्षिक वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय किसी अन्य प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगाः

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

(घ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हों तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, किन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक प्राधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा :

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) संविदा के आधार पर नियुक्त पदधारी जिसने तैनाती के एक स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा, जहां भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला अभ्यर्थी प्रसव होने तक अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त समझी जाएगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों जैसे एफ0 आर0–एस0 आर0, छुट्‌टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पेंशन नियम तथा आचरण नियम आदि के उपबन्ध संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे। संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

16. आरक्षणः	सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और व्यक्तियों के अन्य प्रवर्गों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17. विभागीय परीक्षाः	लागू नहीं।
18.शिथिल करने की शक्तिः	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी/किन्हीं उपबन्ध (उपबन्धों) को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या पद (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

उपाबन्ध–ख

प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित) और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यंक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा/करार का प्ररूप।

यह करार श्री/श्रीमती .... पुत्र/पुत्री श्री .... निवासी .... संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम पक्षकार कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य निदेशक, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, हिमाचल प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय पक्षकार कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख .... को किया गया।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित) के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है :–

1. यह कि प्रथम पक्षकार प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित) के रूप में .... से प्रारम्भ होने और .... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् अर्थात् .... को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) हो जाएगी तथा सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगाः

   परन्तु संविदा अवधि में वर्षानुवर्ष आधार पर विस्तारण/नवीकरण के लिए विभागाध्यक्ष यह प्रमाण–पत्र जारी करेगा कि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा और आचरण वर्ष के दौरान संतोषजनक रहा है और केवल तभी उसकी संविदा की अवधि नवीकृत/विस्तारित की जाएगी।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 13900/–रूपए प्रतिमास होगी।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतया अस्थायी आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदात्मक प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक (कला–श्रवण बाधित) एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक सौ पैंतीस दिन के प्रसूति अवकाश, दस दिन के चिकित्सा अवकाश और पांच दिन के विशेष अवकाश के लिए भी हकदार होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त महिला पूरी सेवा के दौरान, गर्भपात हो जाने सहित गर्भपात कराने की दशा में, प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर पैंतालीस दिन से अनधिक प्रसूति अवकाश (जीवित बच्चों की संख्या का विचार किए बिना) के लिए भी हकदार होगी। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 आदि के लिए हकदार नहीं

होगा/होगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को उपरोक्त के सिवाय अन्य किसी प्रकार का कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा :

परन्तु अनुपभुक्त आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश और विशेष अवकाश एक कलैण्डर वर्ष तक संचित किया जा सकेगा और आगामी कलैण्डर वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जाएगा।

5. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (डयूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यवसान (समापन) हो जाएगा। तथापि आपवादिक मामलों में जहां पर चिकित्सा आधार पर कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति के हालात संविदा पर नियुक्त व्यक्ति के नियन्त्रण से बाहर हो तो उसके नियमितीकरण के मामले में विचार करते समय ऐसी अवधि अपवर्जित नहीं की जाएगी, परन्तु पदधारी को इस बाबत समय पर नियन्त्रक अधिकारी को सूचित करना होगा। तथापि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की ऐसी अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगाः

परन्तु उसे सरकार के प्रचलित अनुदेशों के अनुसार, चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए बीमारी/आरोग्य प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत करना होगा।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति जिसने तैनाती के स्थान पर तीन वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया हो, आवश्यकता के आधार पर स्थानान्तरण हेतु पात्र होगा/होगी, जहाँ भी प्रशासनिक आधार पर ऐसा करना अपेक्षित हो।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थायी तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। ऐसी महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

8. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी पदधारी को पद के वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा/होगी।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (व्यक्तियों) को कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ ई0पी0एफ0/जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप **प्रथम पक्षकार** और **द्वितीय पक्षकार** के साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षियों की उपस्थिति में:

1. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

2. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षियों की उपस्थिति में :

1. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

2. ....

....

....

(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

(Authoritative English Text of Government Notification No. SJE-B-B(1)-5/2016 dated 31 July, 2017 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

Government of Himachal Pradesh
Department of Social Justice & Empowerment

No. SJE-B-B(1)-5/2016 Dated: Shimla-02, the 31st July, 2017

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso in article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Trained Graduate Teacher, Arts (Hearing Impaired), Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh, as per Annexure "A" attached to this notification namely:-

Short Title and Commencement	1(1)	These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Social Justice & Empowerment, Trained Graduate Teacher, Arts (Hearing Impaired) Class-III (Non-Gazetted) Recruitment & Promotion Rules, 2017.
	(2)	These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.
Repeal & Savings	2(1)	The Himachal Pradesh Social Justice & Empowerment Department, Trained Graduate Teacher (Hearing Impaired), Class-III (Non-Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2009, notified vide this Department Notification No. SJE-A(3)-2/2006 dated: 21st May, 2009 are hereby repealed.
	(2)	Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (1) supra shall be deemed to have been validly made or taken under these rules.

By Order

Principal Secretary (SJ&E) to the
Government of Himachal Pradesh

ANNEXURE "A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TRAINED GRADUATE TEACHER (ARTS) (HEARING IMPAIRED) (NON-GAZETTED) CLASS-III, IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the post	:	Trained Graduate Teacher (Arts) (Hearing Impaired).
2. Number of posts	:	01 (One).
3. Classification		Class III (Non-Gazetted).
4. Scale of Pay	:	(i) Pay band for regular incumbent(s): Rs. 10300-34800+ Rs.3600/- Grade Pay. (ii) Emoluments for contract employee(s): Rs. 13,900/- as per details given in Col. No. 15-A.
5. Whether "Selection" post or "Non- Selection" post;	:	Not applicable.
6. Age for direct recruitment		Between 18 and 45 years :

Provided that the upper age limit for direct recruitment will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis :

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis or on contract basis had become over-age on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his such adhoc or contract appointment :

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/ Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Other categories of persons to the extent permissible under the general or special order (s) of the Himachal Pradesh Government:

Provided further that the employees of all the Public Sector Corporations and Autonomous Bodies who happened to be Government servants before absorption in public Sector Corporation/ Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/ Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to Government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the public Sector Corporations/ Autonomous Bodies who were /are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies.

(--contd.2--)

Note:- Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post (s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchanges or as the case may be.

7. *Minimum Educational and other qualifications required for direct recruit(s):*

a) Essential Qualification(s):-

i) A second class Bachelor Degree in Arts from a recognized University.
ii) B.Ed. in Special Education (Hearing Impaired) from a recognized Institution/University.

OR

Post Graduate Professional Diploma in Special Education (PGPDSE) (Hearing Impaired) with General/Special B.Ed.

iii) The candidate must be registered with Rehabilitation Council of India (RCI).

b) Desirable Qualification(s):-

i) Post qualification one year teaching experience in the related field.
ii) Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. *Whether age and educational qualification(s) prescribed for direct recruit(s) will apply in the case of the promotee(s):*

Age : Not applicable.

Educational Qualification: Not applicable.

9. *Period of probation, if any:*

a) Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
(b) No probation in the case of appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorption.

10. Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion/secondment/ transfer and the percentage of post(s) to be filled in by various methods:

100% by direct recruitment on regular basis or by recruitment on contract basis, as the case may be.

11. In case of recruitment by promotion/ secondment/transfer, grade for which promotion/secondment /transfer is to be made:

Not applicable.

(Cont..3..)

12.	If a Departmental promotion/ Confirmation Committee exists, what is its Composition:	a) Departmental Promotion Committee:- Not applicable. b) Departmental Confirmation Committee: As may be constituted by the Government from time to time.
13.	Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be Consulted in making recruitment:	As required under the Law.
14.	Essential requirement for a direct recruitment:	A candidate for appointment to any service or post must be a citizen of India.
15.	Selection for appointment to the post by direct recruitment:	Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made on the basis of interview/personality test or if the Himachal Pradesh Public Service Commission or other recruiting agency/authority as the case may be, so consider necessary or expedient on the basis of interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/ syllabus, etc. of which, will be determined by the Commission/ other recruiting agency/authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by Contract appointment:

Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:-

(I) CONCEPT

(a) Under this policy the Trained Graduate Teacher, Arts (Hearing Impaired), in the Department of Social Justice & Empowerment, Himachal Pradesh will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis :

Provided that for extension/renewal of contract period on year to year basis the concerned HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee is satisfactory during the year and only then his period of contract is to be renewed/extended.

(b) POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSC :

The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, HP after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(Cont..4..)

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions prescribed in these Recruitment & Promotion Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS:

The Trained Graduate Teacher, Arts (Hearing Impaired) appointed on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs.13900/- P.M. (which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). An amount or Rs. 417/-(3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed, if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING/ DISCIPLINARY AUTHORITY:

The Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. will be the appointing & disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS:

Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of interview/personality test or if consider necessary or expedient by a interview/personality test preceded by a screening test (objective type)/written test or practical test or physical test, the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. Himachal Pradesh Staff Selection Commission, Hamirpur.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS:

As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. HPSSC, Hamirpur from time to time.

(VI) AGREEMENT:

After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS:

(a) The contractual appointee will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs. 13900/- P.M.(which shall be equal to minimum of the pay band + grade pay). The contract appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 417/- (3% of the minimum of pay band + grade pay of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. will be given.

(b) The service of the Contract Appointee will be purely on temporarily basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(Cont..5..)

(c) The Contract Appointee will be entitled for one day's casual leave after putting one month service. However, the contract employee will also be entitled for 135 days maternity leave, 10 days medical leave and 5 days special leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any other kind except above is admissible to the contract employee :

Provided that the un-availed casual leave, medical leave & special leave can be accumulated up the calendar year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty :

Provided that he/she shall submit the certificate of illness/ fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

(e) An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate, pregnant beyond 12 weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate shall be re-examined for the fitness from an authorized Medical Officer/ Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR, SR, Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules and Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will also not be applicable to contract appointee(s).

(Cont..6..)

16.	*Reservation*	The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.
17.	*Departmental Examination*	Not applicable.
18.	*Powers to Relax*	Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the H.P.P.S.C. relax any of the provision(s) of these rules with respect to any class or category of person(s) or post(s).

ANNEXURE-B

Form of contract/agreement to be executed between the Trained Graduate Teacher (Arts) (Hearing Impaired) and the Government of Himachal Pradesh through the Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P.

This agreement is made on this--------------------day of ------------------in the year-----------between. Sh./Smt. ---------------------S/O/D/O Sh.-----------------R/O --- Contract appointee (hereinafter called the FIRST PARTY), AND The Governor of Himachal Pradesh through Director, Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, H.P. (here-in-after referred to as the SECOND PARTY).

Whereas the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Trained Graduate Teacher (Arts) (Hearing Impaired) on contract basis on the following terms and conditions.

1 That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Trained Graduate Teacher, Arts (Hearing Impaired) for a period of one year commencing on day of------------ and ending on the day of -------------. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the----------- FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on ------------------- and information notice shall not be necessary :

Provided that for further extension/renewal of contract period the HOD shall issue a certificate that the service and conduct of the contract appointee was satisfactory during the year and only then the period of contract was to be renewed/extended.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs.13900/- per month.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

4. Contractual Trained Graduate Teacher (Arts), Hearing Impaired will be entitled for one day casual leave after putting in month service. However, the contract appointee will also be entitled for 135 days Maternity leave, 10 days Medical leave and 5 day's Special Leave. A female contract appointee shall also be entitled for maternity leave not exceeding 45 days (irrespective of the number of surviving children) during the entire service, in case of miscarriage including abortion, on production of medical certificate issued by the authorized Government Medical Officer. He/she shall not be entitled for medical re-imbursement and LTC etc. No leave of any kind is admissible to the contract appointee:

Provided that the un-availed Casual leave, medical leave and Special Leave can be accumulated upto the Calendar Year and will not be carried forward for the next Calendar Year.

5. Unauthorized absence from the duty without the approval of controlling Officer shall automatically lead to the termination of the contract. However, in exceptional cases where the circumstances for un-authorized absence from duty were beyond his/her control on medical grounds, such period shall not be excluded while considering his/her case for regularization but the incumbent shall have to intimate the controlling authority in this regard well in time. However, the Contract appointee shall not be entitle for contractual amount for the period of absence from duty:

   Provided that he/she shall submit the certificate of illness/fitness issued by the Medical Officer, as per prevailing instructions of the Government.

6. An official appointed on contract basis who has completed three years tenure at one place of posting will be eligible for transfer on need based basis wherever required on administrative grounds.
7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government /Registered Medical Practitioner. In case of woman candidates pregnancy beyond twelve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The woman candidate should be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.
8. Contract appointee shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular counterpart official at the minimum of the pay scale.

9. The Employees Group Insurance Scheme as well as EPF/GPF will not be applicable to contractual appointees(s).

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written

IN THE PRESENCE OF WITNESS.

1. --

   (Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. ---

   (Name and full address)

(Signature of the FIRST PARTY)